



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 9, 2019/आषाढ़ 18, 1941

No. 240]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 9, 2019/ASHADHA 18, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2019

फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एसपी(जल और बीवरेज)/अधिसूचना (1)/एफ.एस.एस.ए.आई-2019.—खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) विनियम, 2018 में और आगे संशोधन, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करना चाहती है, करने के लिए इन विनियमों का प्रारूप इससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतद्वारा प्रकाशित करती है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा regulation@fssai.gov.in पर ई-मेल से भेजा जा सकता है।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. इन विनियमों को 'खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) संशोधन विनियम, 2019' कहा जा सकता है।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) विनियम, 2018 के,-

(1) भाग 1 के विनियम 1.3 में,-

- (क) उप-विनियम 1.3.2 की जगह निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्-
- “इथाइल एल्कोहल अंश की सह्यता सीमा घोषित सामर्थ्य के 20 प्रति शत तक के लिए ± 0.3 प्रति शत (90 मि.ली तक की पेट बोतल के लिए -0.5 प्रति शत), और 20 प्रतिशत और उससे अधिक के लिए ± 1.0 प्रति शत (90 मि.ली तक की पेट बोतल के लिए -1.5 प्रति शत)” हो।
- (ख) “उप-विनियम 1.3.9 में “ऐसे एल्कोहलिक पेय जिनमें 8.0 प्रति शत से कम अल्कोहल की मात्रा है को निम्न एल्कोहलिक पेय कहा जाएगा तथा यह सारणी-1 में दिए गए मानकों को वाष्पीकरण पर अवशेष के अलावा पूरा करेगा।” शब्दों की जगह निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँ, अर्थात्-
- “8.0 प्रति शत से अनधिक एल्कोहल वाले एल्कोहलीय बीवरेज अल्प एल्कोहलीय बीवरेज कहे जा सकते हैं। वाइन और बीअर को छोड़कर अल्प एल्कोहलीय बीवरेज सारणी-4 की अपेक्षाओं के अनुरूप हों।”

(2) भाग 2 में,-

- (i) विनियम 2.1 के,-
- (क) खंड 2.1.1 के पैरा ‘1’ में “किण्वन के दौरान मौजूद” शब्दों में “किण्वन” शब्द के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएँ, अर्थात्-
- “और काल-प्रभावन”
- (ख) खंड 2.1.1 के पैरा ‘2’ में “ब्रांडी” शब्द के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएँ, अर्थात्-
- “(उदाहरण एपल ब्रांडी, प्लम ब्रांडी)”
- (ग) उप-विनियम 2.1.2 के बाद निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाए, अर्थात्-
- “2.1.3 इंडियन ब्रांडी :** इंडियन ब्रांडी उदासीन स्पिरिट अथवा परिशोधित स्पिरिट अथवा दोनों के मिश्रण से बनाई जाए। लेबल पर ‘इंडियन ब्रांडी’ नाम के बाद ब्रेकिट में आसानी से पढ़े जा सकने वाले फोंट में ‘खंडसारी स्पिरिट से बनी’ कथन हो। ‘इंडियन’ और ‘ब्रांडी’ शब्दों का फोंट साइज एक समान हो।”
- (ii) विनियम 2.2 के,-
- (क) उप-विनियम 2.2.1 में “गुड” शब्द की जगह निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्,-
- “गुड”
- (ख) उप-विनियम 2.2.1 में “महुआ” शब्द की जगह निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्,-
- “महुआ”
- (iii) विनियम 2.8 के उप-विनियम 2.8.1 के खंड (i) की जगह निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्,-
- (i) सिंगल माल्ट अथवा सिंगल ग्रेन विह्स्की : सिंगल माल्ट अथवा सिंगल ग्रेन विह्स्की उस किण्वित मिश्रण से प्राप्त आसुत होती है जिसमें क्रमशः जौ मिले बाजरे अथवा जौ मिले एक धान्य का उपयोग होता है, जिसे पोर्ट स्टिल में आसुत किया जाता है और एक ही डिस्टिलरी में बनाया जाता है।”

(3) भाग-3 में,-

(i) विनियम 3.1 के,-

(क) उप-विनियम 3.1.1 में “टेबल या अंगूर वाइन निम्न प्रकार की हो सकती है” शब्दों की जगह निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँ, अर्थात्,-

“टेबल वाइन निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है।”

(ख) उप-विनियम 3.1.1 के खंड 3.1.1.2 की मद (i) की जगह निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्,-

“ड्राइ वाइन: ड्राइ वाइन वह वाइन होती है जिसमें शर्करा 0.9 प्रति शत तक होती है।”

(ग) उप-विनियम 3.1.2 के खंड 3.1.2.2 की जगह निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्,-

“3.1.2.2 स्पार्कलिंग : स्पार्कलिंग वाइन में कार्बन डाइऑक्साइड का अंश न्यूनतम 7.0 ग्रा/ली. अथवा 20°C पर 3.5 बार दाब होता है, जो बंद धारक, टैंक अथवा बोतल में केवल वाइन के प्राथमिक अथवा गौण किण्वन से होता है। शर्करा अंश के आधार पर स्पार्कलिंग वाइनें निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैं:

(i) ब्रुट : इसमें शर्करा अंश 1.2 प्रति शत से कम होता है।

(ii) एकस्ट्रा ड्राई : इसमें 0.3 प्रति शत की सह्यता के साथ 1.2 प्रति शत से अधिक और 1.7 प्रतिशत तक शर्करा होती है।

(iii) ड्राई : इसमें 0.3 प्रति शत की सह्यता के साथ 1.7 प्रति शत से अधिक और 3.2 प्रतिशत तक शर्करा होती है।

(iv) सेमी-ड्राई : इसमें 2.2 प्रति शत से अधिक और 5.0 प्रतिशत तक शर्करा होती है।

(v) स्वीट : इसमें 5.0 प्रति शत से अधिक शर्करा होती है।”

(घ) उप-विनियम 3.1.3 की जगह निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्,-

“**3.1.3 फोर्टीफाइड वाइन** : फोर्टीफाइड वाइन उच्च एल्कोहल अंश वाली वाइन होती है, जिसे एल्कोहल (ब्रांडी अथवा वाइन स्पिरिट अथवा कृषि मूल की उदासीन स्पिरिट) डालकर तैयार किया जाता है, बशर्ते कि वह न्यूनतम 7.0 प्रति अंगूर, द्राक्षासव और फलों के रस के किण्वन से बनाई गई हो, और उसे क्षुधावर्धक पेय अथवा डेजर्ट वाइन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। फोर्टीफाइड वाइन लाल अथवा सफेद, ड्राई अथवा मीठी हो सकती है।

फोर्टीफाइड वाइनें निम्नलिखित प्रकार की होती हैं:

3.1.3.1 शेरी : शेरी आम तौर पर सफेद वाइन होती है, जिसे ड्राइनेस तक किण्वित किया जाता है और फिर उसे वायु के संपर्क से पकाई के दौरान स्थिर करने के लिए उसमें एल्कोहल (ब्रांडी अथवा वाइन स्पिरिट) मिलाई जाती है।

3.1.3.2 पोर्ट वाइन : पोर्ट (भौगोलिक इंडिकेटर के अंतर्गत संरक्षित) फोर्टीफाइड वाइन होती है, जिसमें फिल्टरेशन और एल्कोहल (ब्रांडी अथवा वाइन स्पिरिट) से फोर्टीफिकेशन करके 4-6%abv पर किण्वन रोक दिया जाता है।

3.1.3.3 सुगंधित वाइन : सुगंधित वाइन फोर्टीफाइड वाइन होती है जिसमें एल्कोहल (ब्रांडी अथवा वाइन स्पिरिट) और सुगंधशील जड़ी-बूटियों और/अथवा मसालों का आसव मिला दिया जाता है। सुगंधित वाइनें निम्न प्रकार की होती हैं:

(i) **वेरमाउथ** : वेरमाउथ वह वाइन होती है, जिसका स्वाद, सुगंध और लक्षण वेरमाउथ की जड़ी-बूटियाँ और/अथवा मसाले डालकर बनाए जाते हैं, जिस कारण उसका यह नाम पड़ा।

(ii) **कड़वी सुगंधित वाइन:** यह सुगंधित वाइन होती है, जिसका लाक्षणिक स्वाद कड़वा होता है।

(iii) **डेजर्ट वाइन :** डेजर्ट वाइन आम तौर पर मीठी होती है और ग्रेप ब्रांडी से फोर्टीफाइड होती है।

(ड) उप-विनियम 3.1.4 में “अंगूरों के अलावा अन्य फलों से तैयार वाइन” शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएँ, अर्थात्,-

“इससे पहले फल का नाम रखा जाए। उदाहरण, प्लम वाइन, एप्रिकॉट वाइन, पिअर वाइन)”

(च) उप-विनियम 3.1.4 में मद 3.1.4.3 को विलोप कर दिया जाए।

(छ) उप-विनियम 3.1.5 में खंड 3.1.5.1 की जगह निम्नलिखित खंड रखा जाए, अर्थात्,-

“3.1.5.1 पॉम वाइन/टोडी: पॉम वाइन/टोडी पॉम वृक्ष और कोकोनट पॉम के रस से तैयार वाइन होती है।”

(ii) विनियम 3.2 में खंड (iii) की जगह निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्,-

“(iii) वाइन तैयार करने के लिए मिलाया गया पानी प्रति किग्रा अंगूर अथवा फल में 70 मि.ली. से अधिक न हो, जो:

(क) कोई सहयोज्य पदार्थ अथवा प्रसंस्करण सहायक सामग्री मिलने के लिए आवश्यक हो,

(ख) किण्वन के लिए आवश्यक हो; अथवा

(ग) वाइन बनाने की प्रक्रिया का अंग हो।

वाइन बनाने की प्रक्रिया के अंग के रूप में पानी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है, जो उत्पादन प्रक्रियाओं के कारण मौजूद हो, जैसे धुलाई और सफाई के बाद टैंकों और पाइपों में बचा पानी और निःशेष अंगूरों को क्रशर में डालने के लिए आधानों में डाला गया पानी, जब पानी न्यूनतम उतना ही होता है जो प्रौद्योगिकीय प्रयोजन (अर्थात् अच्छी उत्पादन रीतियों के प्रयोग) के लिए आवश्यक हो। पानी प्रसंस्करण सहायक सामग्रियों और खाद्य सहयोज्य पदार्थों के योजन के लिए भी अनुमत होता है, जब यह जलीय विलयन के रूप में मिलाया जाता है। उप-खंड 3.2(iii) में “स्टक” किण्वन सीमित करने के लिए उच्च शर्करा वाइनों को तनु करने के लिए पानी मिलाने की स्व-स्वीकृति नहीं है।”

(4) भाग-5 के,-

(क) विनियम 5.1 में निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाए, अर्थात्,-

“5.1.1 पॉट आसुत एल्कोहल के पैकेज पर “पॉट-डेग/पॉट-डेग आसुत/पॉट-आसुत” सामग्री का लेबल लगाया जाए।”

(ख) विनियम 5.3 की जगह निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्,-

“5.3 लेबल पर भौगोलिक संसूचक (जीआई) अथवा नामों का प्रयोग केवल भौगोलिक क्षेत्र विशेष में बनने वाले उत्पादों के लिए किया जा सकता है।

ऐसे उत्पादों को वस्तुओं के भौगोलिक संसूचक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत पंजीकृत कराना होगा और वे मूल देश के ऐसे जीआई उत्पादों के लिए उस देश विशेष के विनियमों का पालन करेंगे।

आगे, ऐसे उत्पाद इन विनियमों और अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित अन्य विनियमों में विहित भारी धातुओं की सीमाओं तथा सूक्ष्मजैविक अपेक्षाओं के अनुरूप हों।”

- (ग) विनियम 5.9 के उप-विनियम 5.9.1 के खंड (i) की जगह निम्नलिखित खंड रखा जाए, अर्थात्,-
“(i) वाइन का मूल (देश या राज्य) लिखें और इन विनियमों में विहित शर्करा की रेंज घोषित करें।”
- (घ) विनियम 5.12 में “वैधानिक चेटावनी का आकार 3 मिमी से कम नहीं होगा।” शब्दों और अंकों की जगह निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्,-
“200 मि.ली. तक के पैक साइज के लिए वैधानिक चेटावनी का साइज 1.5 मि.मी से कम न हो और 200 मि.ली. से अधिक के पैक साइज के लिए चेटावनी का साइज 3 मि.मी. से कम न हो।”
- (5) सारणी-1 के क्रम संख्या 5 के कॉलम (2) में “मिथाइल अल्कोहल (आसुत पूर्ण शराब के जी/100एल के रूप में व्यक्त किया गया)” शब्दों और अंकों की जगह निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्,-
“परिशुद्ध एल्कोहल के ग्रा/100 लि. के रूप में व्यक्त”
- (6) सारणी-2 के कॉलम (3) और (4) के शीर्षक में “टेबल या अंगूर वाइन” शब्दों की जगह निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँ, अर्थात्,-
“टेबल वाइन”
- (7) सारणी-3 के बाद निम्नलिखित सारणी जोड़ी जाए, अर्थात्,-

“सारणी-4

[उप-विनियम 1.3.9 देखें]

वाइन और बीयर के अलावा अल्प एल्कोहल बीवरेजों की अपेक्षाएँ

क्रम सं. (1)	लक्षण (2)	अपेक्षाएँ (3)
1.	इथाइल एल्कोहल अंश, 20°C पर, आयतनानुसार प्रति शत	0.5 से 8.0
2.	वाष्पन पर अवशिष्ट, प्रति शत (ग्रा/लिटर), अधिकतम	25.0
3.	कुल अम्ल, टारटैरिक एसिड के रूप में, प्रति शत (आयतनानुसार द्रव्यमान), अधिकतम	1.0
4.	मिथाइल एल्कोहल (परिशुद्ध एल्कोहल के ग्रा/100 लि. के रूप में व्यक्त), अधिकतम	25.0
5.	शर्करा, प्रति शत (आयतनानुसार भार), अधिकतम	20.0
6.	pH	2.0 से 5.0
7.	कॉपर (मि.ग्रा/लि.), अधिकतम	1.0
8.	लौह (Fe के रूप में), मि.ग्रा/लि., अधिकतम	5.0
9.	सीसा (मि.ग्रा/लि.), अधिकतम	0.2
10.	अर्सेनिक (मि.ग्रा/लि.), अधिकतम	0.25
11.	कैडमियम (मि.ग्रा/लि.), अधिकतम	0.1”

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./132/19]

टिप्पणी : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा. सं. 2/एस.ए-24/2009(1)/एफ.एस.एस.ए.आई, दिनांक 19 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Food Safety and Standards Authority of India)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th July, 2019

F. No. Stds/SP(water and Beverages)/Notification(1)/FSSAI-2019.—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018, which the Food Safety and Standards Authority of India, with the previous approval of the Central Government, proposes to make, in exercise of powers conferred by clause (v) of sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006, (34 of 2006) is hereby published as required by sub-section (1) of section 92 of the said Act, for the information of persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi – 110002, or may be sent through e-mail at regulation@fssai.gov.in;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to said draft regulations, before the expiry of the period so specified above, will be considered by the Food Authority.

Draft regulations

1. These regulations may be called the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Amendment Regulations, 2019.
2. In the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018, -
 - (1). In part-1, in regulation 1.3,-
 - (a) for sub-regulation 1.3.2, the following shall be substituted, namely, -

“1.3.2 The tolerance limit for ethyl alcohol content shall be ± 0.3 per cent (-0.5 percent for upto 90 ml pet bottle) for up to 20 per cent, and ± 1.0 per cent (-1.5 per cent for up to 90 ml pet bottle) for more than 20 per cent abv of the declared strength. In case of wine the tolerance limit shall be ± 0.5 .”
 - (b) for sub-regulation 1.3.9, for the words and figures “Alcoholic beverage containing not more than 8.0 per cent. abv may be called as low alcoholic beverage, and shall conform to the requirements of table 1 except for residue on evaporation.” The following shall be substituted, namely, -

“Alcoholic beverage containing not more than 8.0per cent. abv may be called as low alcoholic beverage. Low Alcoholic beverages, other than wine and beer shall conform to the requirements of Table-4.”
 - (2). in Part-2,-
 - (i) in regulation 2.1,-
 - (a) in 2.1.1, in para ‘1’ , after the words “formed during fermentation”, the following shall be inserted, namely, -

“and aging”
 - (b) in 2.1.1, in para ‘2’ after the words “the word ‘Brandy’ ”, the following shall be inserted, namely, -

“(example Apple Brandy, Plum Brandy)”
 - (c) after sub-regulation 2.1.2, the following shall be inserted, namely, -

“ 2.1.3 Indian Brandy: Indian brandy shall be made either from neutral spirit or rectified spirit or a mixture of both. On the label, the name 'Indian Brandy' shall be followed by a statement under bracket as 'made from molasses spirit' with a font size that is easily readable. The font size of the words 'Indian' and 'Brandy' shall be same.”
 - (ii) in regulation 2.2,-
 - (a) in sub-regulation 2.2.1, for the word “Gur”, the following shall be substituted, namely, -

“*Gur*”

(b) in sub-regulation 2.2.1, for the word “mahua”, the following shall be substituted, namely, -

“mahua”

(iii) in regulation 2.8, in sub-regulation 2.8.1, for clause (i) the following shall be substituted, namely, -

“(i) Single malt or Single grain whisky: Single malt or Single grain whisky is a distillate obtained from fermented mash that uses one particular malted barley or malted grain, respectively, distilled in pot still only, and produced in a single distillery.”

(3). in Part-3,

(i) in regulation 3.1,

(a) in sub-regulation 3.1.1, for the words “Table or grape wine may be of the following types”, the following shall be substituted, namely, -

“ Table wine may be of following types.”

(b) in sub-regulation 3.1.1, in clause 3.1.1.2, for item (i), the following shall be substituted, namely, -

“(i) Dry wine: Dry wine is a wine that contains upto 0.9 per cent. sugar.”

(c) in sub-regulation 3.1.2, for clause 3.1.2.2, the following shall be substituted, namely, -

“3.1.2.2 Sparkling : Sparkling wine has a carbon dioxide content of minimum 7.0 g/l or 3.5 bar pressure at 20°C resulting solely from either the primary or the secondary fermentation of the wine within a closed container, tank or bottle. Based on the sugar content the sparkling wines maybe of the following types:

i) Brut : It has sugar content below 1.2 per cent.

ii) Extra-Dry : It contains more than 1.2 up to 1.7 per cent. sugar with a tolerance of 0.3 per cent.

iii) Dry : It contains more than 1.7 up to 3.2 per cent. sugar with a tolerance of 0.3 per cent.

iv) Semi-Dry : It is a wine which contains more than 3.2 up to 5.0 per cent. sugar.

v) Sweet : It contains more than 5.0 per cent. sugar”

(d) for sub-regulation 3.1.3, the following shall be substituted, namely, -

“**3.1.3 Fortified wine:** Fortified wine is a wine with high alcohol content achieved by the addition of alcohol (brandy or wine spirits or neutral spirit of agricultural origin) provided a minimum 7.0 per cent comes from fermentation of grapes, grape must and fruits and used as aperitif or dessert wine. Fortified wine may be red or white, dry or sweet.

Fortified wines are of following types:

3.1.3.1 Sherry: is commonly a white wine fermented to dryness followed by the addition of alcohol (brandy or wine spirits) to stabilize during maturation in contact with air.

3.1.3.2 Port wines: Port (protected under Geographical Indicator) is a fortified wine in which fermentation is stopped at 4-6 % abv by filtration and fortification with alcohol (brandy or wine spirits).

3.1.3.3 Aromatized wine: Aromatized wine is a fortified wine to which alcohol (brandy or wine spirits) and extract of aromatic herbs and or spices are added. The aromatized wines are of the following types:

(i) Vermouth: Vermouth is a wine having the taste, aroma and characteristics derived from the addition of extract of herbs and spices, attributed to vermouth, and shall be so designated.

(ii) Bitter aromatized wine: is an aromatized wine with a characteristic bitter taste.

(iii) Dessert wine: Dessert wine is generally sweet and fortified with grape brandy.

(e) in sub-regulation 3.1.4, after the words “wine produced from fruit other than grapes”, the following shall be inserted, namely, -

“(should be prefixed with the name of the fruit. Example wine such as plum wine, apricot wine, pear wine)”

- (f) in sub-regulation 3.1.4, item 3.1.4.3 shall be omitted.
- (g) in sub-regulation 3.1.5, for clause 3.1.5.1 the following shall be substituted, namely, -
- “3.1.5.1 Palm wine/Toddy: Palm wine/Toddy is a wine prepared from sap of palm trees and coconut palms.”
- (ii) in regulation 3.2, for clause (iii), the following shall be substituted, namely, -
- “(iii) Water added in preparation of wine shall not be more than 70 ml per kg of grape or fruit:
- (a) necessary to incorporate any permitted additive and processing aid
- (b) necessary to facilitate fermentation; or
- (c) incidental to the winemaking process.
- Incidental water is intended to cover small amounts of water which may be present from production processes such as residual water remaining in tanks and pipes after washing and cleaning and hosing out bins to force the last of the grapes into the crushers, where the water used is the minimum needed to perform the technological purpose (i.e. using good manufacturing practices). Water is also permitted to include the addition of permitted processing aids and food additives added as an aqueous solution. The sub-clause 3.2 (iii) does not contain an express permission for water added to dilute high sugar musts to limit the occurrence of "stuck" fermentations.”
- (4). in Part-5,-
- (a) in regulation 5.1, the following sub-regulation shall be inserted, namely, -
- “5.1.1 The Pot distilled alcohol shall be labelled as ‘Pot- Still/Pot -Still Distilled/Pot- Distilled’ on the package.”
- (b) for the regulation 5.3, the following regulation shall be substituted, namely, -
- “5.3 Geographical indicators (GI) or names may be used on the label solely for the products originating from that geographical region.
- Such products shall be registered under the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 and meet the country specific regulations for such GI products of the country of origin.
- Further, such products shall conform to the limits of heavy metals and microbiological requirements as specified under these regulations and other regulations notified under the Act.”
- (c) in the regulation 5.9, in sub-regulation 5.9.1, for the clause (i), the following shall be substituted, namely,—
- “(i) Indicate the origin (country or state) of wine and declare the range of sugar as specified under these regulations.”
- (d) in regulation 5.12, for the words and figures “Size of statutory warning shall not be less than 3 mm.” The following shall be substituted, namely, -
- “Size of statutory warning shall not be less than 1.5 mm for pack size of upto 200ml and for pack size above 200 ml, size of the warning shall not be less than 3 mm.”
- (5). in TABLE-1, in serial no. 5, in column (2), for the words and figures “expressed as g/100 l of distilled absolute alcohol”, the following shall be substituted, namely, -
- “expressed as g/100 l of absolute alcohol”
- (6). in TABLE-2, in the column (3) and (4), in the heading, for the words “Table or Grape Wine”, the following shall be substituted, namely, -
- “Table Wine”
- (7). after TABLE-3, the following Table shall be inserted, namely, -

“TABLE-4

[See sub-regulation 1.3.9]

Requirements for Low Alcoholic Beverages other than wine and beer

S.No. (1)	Characteristics (2)	Requirements (3)
1.	Ethyl alcohol content at 20 degree C, per cent by volume	0.5 to 8.0
2.	Residue on evaporation, per cent. (g/liter), Max.	25.0
3.	Total acids as tartaric acid, per cent. (m/v), Max.	1.0
4.	Methyl alcohol(expressed in terms of g/100 l of absolute alcohol),Max.	25.0
5.	Sugar, per cent. (w/v), Max.	20.0
6.	pH	2.0 to 5.0
7.	Copper (mg/l), Max.	1.0
8.	Iron (as Fe) mg/l, Max.	5.0
9.	Lead (mg/l), Max.	0.2
10.	Arsenic (mg/l), Max.	0.25
11.	Cadmium (mg/l), Max.	0.1 ”

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./132/19]

Note : The principal regulation were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, *vide* notification number F. No. 2/SA-24/2009(1)/FSSAI, dated 19th March, 2018.